कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-03/2024 **दिनांक 27/04//2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 26.04.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01- स्वाट/सर्विलांस व थाना नन्दगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना नन्दगंज क्षेत्र में लगभग 15 लाख रुपये की शराब व शराब बनाने के उपकरण तथा रॉ मटेरियल की मिश्रित व अपमिश्रित शराब के साथ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी भुडकुड़ा के निकट पर्यवेक्षण में थाना नन्दगंज पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम नरायणपुर हाला में अभियुक्त डा0 धनन्जय यादव पुत्र योगेन्द्र नाथ निवासी मड़ई हाला थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 30 वर्ष के रोड पर बने गोदाम में समय करीब 3.30 बजे दबिश दी गयी तो उनके गोदाम से 240 पेटी में कुल 2800 बोतल जिसकी कुल मात्रा 2150 लीटर शराब व शराब बनाने के उपकरण तथा रॉ मटेरियल बरामद हुआ। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.धनेश कुमार पुत्र श्रीरामजन्म राम निवासी भवानीपुर थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 45 वर्ष।

2.रामाशीष यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी मड़ई हाला थाना नंन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगीः-

240 पेटी में कुल 2800 बोतल जिसकी कुल मात्रा 2150 लीटर शराब व शराब बनाने के उपकरण तथा रॉ मटेरियल

आपराधिक इतिहास की खोज की जा रही है।

02. थाना नंन्दगंज पुलिस द्वारा 01 किलो 500 ग्राम नाजायज गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी भुडकुड़ा के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 25.04.2024 को उ0नि0 श्री आनन्द कुमार गुप्ता मय हमराह देखभाल क्षेत्र एवं रोकथाम जुर्म जरायम मे मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना के आधार पर मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के एक सक्रिय अभियुक्त छोटू बिन्द पुत्र वीरेन्द्र बिन्द निवासी ग्राम सहेड़ी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 23 वर्ष को समय

21.30 बजे लक्ष्मणपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 500 ग्राम नाजायज गाँजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 25 हजार रूपये) बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 72/2024 धारा 8/20 NDPS Act में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही सम्बन्धित थाने द्वारा की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.छोटू बिन्द पुत्र वीरेन्द्र बिन्द निवासी ग्राम सहेड़ी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी –

1.01 किलो 500 ग्राम नाजायज गाँजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 25 हजार रूपये)

अभियुक्त छोटू बिन्द पुत्र वीरेन्द्र बिन्द का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 97/2019 धारा 363, 366 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 132/2020 धारा 188, 269, 270 भा0द0वि0 थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 62/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0सं0-150/2022 धारा- 3/25 आयुध अधिनियम थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर
5. मु0अ0सं0 46/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर
6. मु0अ0सं0 72/2024 धारा 8/20 NDPS Act थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

03. थाना करण्डा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 52/24 धारा 363/366/376(3) भा0द0वि0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण मे उ0नि0 राजित राम यादव मय हमराह द्वारा आज दिनांक 26.04.2024 को बड़सरा बाजर से नागा बाबा जाने वाले मार्ग पर थाना करण्डा के मु0अ0सं0 52/24 धारा 363/366/376(3) भा0द0वि0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राहुल चौधरी पुत्र सत्येन्द्र चौधरी निवासी ग्राम गजाधरपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्बन्धित थाने द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल चौधरी पुत्र सत्येन्द्र चौधरी नि0ग्राम गजाधरपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 52/24 धारा 363/366/376(3) भा0द0वि0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर